न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/323

1. किशन लाल आयु 38 वर्ष आत्मज सुखा जी गुर्जर निवासी हीरामन जी का मोहल्ला गोठडा तहसील हिण्डोली ।
2. श्रीमती कैलाशी आयु 50 वर्ष पुत्री सुखा पत्नी घांसी जाति गुर्जर निवासी करगजपुरा तहसील हिण्डोली ।
3. मनभर बाई आयु 41 वर्ष पुत्री सुखा पत्नी शंकर जाति गुर्जर निवासी फतेहपुरा तहसील देवली जिला टोंक ।
4. हंसाबाई आयु 33 वर्ष पुत्री सुखा पत्नी प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. राजू आयु 25 वर्ष आत्मज गोबरी लाल (माता स्वर्गीय गीता) जाति गुर्जर निवासी मेन दरवाजा बड़ोदा तहसील श्योपुर (मध्यप्रदेश) ।
6. दीपू आयु 23 वर्ष पुत्र गोबरी लाल (माता स्वर्गीय गीता) जाति गुर्जर निवासी मेन दरवाजा बडोदा तहसील श्योपुर (मध्यप्रदेश) ।
7. मनीष उर्फ गोलू आयु 16 वर्ष पुत्री गोबरी लाल (माता स्वर्गीय गीता) जाति गुर्जर निवासी मेन दरवाजा बडोदा तहसील श्योपुर (मध्यप्रदेश) नाबालिग जरिये भाई राजू ।
8. गिरिजा आयु 28 वर्ष पुत्री गोबरी लाल (माता स्वर्गीय गीता) जाति गुर्जर निवासी मेन दरवाजा बडोदा तहसील श्योपुर (मध्यप्रदेश) ।
9. भूरी आयु 19 वर्ष पुत्री गोबरी लाल (माता स्वर्गीय गीता) जाति गुर्जर निवासी मेन दरवाजा बडोदा तहसील श्योपुर (मध्यप्रदेश) ।

बनाम

1. बरधीलाल आयु 65 वर्ष आत्मज चतरा जाति गुर्जर निवीस ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 1/1. सोहनी बाई बेवा बरधीलाल जाति गुर्जर ।
   - 1/2. रामलाल आत्मज स्व0 बरधीलाल जाति गुर्जर ।
   - 1/3. कन्हैया लाल आत्मज स्व0 बरधीलाल जाति गुर्जर ।
   - 1/4. देवलाल आत्मज स्व0 बरधीलाल जाति गुर्जर ।
   - 1/5. महावीर आत्मज स्व0 बरधीलाल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली ।
   - 1/6. श्रीमती विमला पुत्री स्व0 बरधीलाल पत्नी रामलाल जाति गुर्जर निवासी गोरछा का खेडा तहसील हिण्डोली ।
   - 1/7. कमला पुत्री स्व0 बरधीलाल पत्नी लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली ।
   - 1/8. गणेशी बाई पुत्री स्व0 बरधीलाल पत्नी शोजी जाति गुर्जर निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नवेद केसर अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 04.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 मृतक बरधी लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 935 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 936 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा कुल 02 किता की 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 01 से 09 के गैर खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि को वादी ने लगभग 45 वर्ष पूर्व लाखों रूपये खर्च कर काबिज काश्त बनाया था और वादी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि पर वादी ने रहने के लिए मकान बनाया हुआ है जिसमें वादी अपने परिवार के साथ निवास करता चला आ रहा है । सुखा ने उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके अपने नाम आवंटित करवा ली जिसकी वादी को कोई जानकारी नहीं थी । प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को कभी भी काश्त नहीं किया है । प्रतिवादीगण के नाम उक्त भूमि गैर खातेदारी में होने से उनके मन में बदयान्ति आ गई है और वे भूमि को हडपना चाहते हैं और भूमि को हस्तान्तरण करना चाहते हैं ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण क्रम 01 से 09 का नाम विलोपित कर उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर वादी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे और न ही जबरन ताकत के बल पर कब्जा करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी क्रम 10 तहसीलदार हिण्डोली ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 के द्वारा वाद वादी खारिज करते हुए प्रतिवादी क्रम 10 तहसीलदार

हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने काउन्टर क्लेम स्वीकार करने से पूर्व कब्जे के सम्बन्ध में कोई जॉच नहीं करवायी । वादग्रस्त आराजी सुखा को राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई थी और आवंटन के बाद गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 01 मृतक बरधीलाल ने एक दावा अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया और यह कथन किया कि आराजी प्रतिवादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है जिसे वादी ने काफी मेहनत करके काफी रूपये खर्च करके काबिल काश्त बनाया है । प्रतिवादीगण का इस पर कब्जा नहीं है । अतः उक्त भूमि को वादी के खातेदारी में दर्ज किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया और प्रतिवादी कम 10 तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा पेश काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया गया । जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील न्यायालय में पेश की जा रही है । प्रतिवादी कम 10 के काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज करने एवं कब्जा राज लेने का आदेश पारित किया है । गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया गया था आवंटन सुखा को किया गया था और गैर खातेदारी में दर्ज की गई । राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम गैर खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पर वादी बरधीलाल का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । लोक अदालत में एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में सरकार की ओर से काउन्ट क्लेम पेश किया था और यह कथन किया गया था कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा गैर खातेदार का न होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है । आवंटन शर्तो का उल्लंघन हुआ है इसलिए आराजी को सिवायचक दर्ज किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेकर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसमें दिनांक 28.

07.2015 की तारीख पेशी दी गई । दिनांक 28.07.2015 को लोक अदालत हेतु दिनांक 30.07.2015 तारीख पेशी नियत की गई । दिनांक 30.07.2015 को पक्षकारान की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है और तहसीलदार प्रतिवादी कम 10 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपीलान्ट से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा